App - A
Crim - 1

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

जीवनसिंह बनाम ओटसिंह

किस्म मुकदमा .... नम्बर 28/2019 सन् ....

अन्तर्गत धारा 212 RT Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	4/10/19 वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 25/11/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	25/11/19 वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी 2 व 3 उप.। अप्रार्थीस 2 व 3 की ओर से वकील दिनेश कुमार माली ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी क 1 का नोटिस अदम तामील अप्राप्त। अतः वकील प्रार्थी पुनः PF व नोटिस पेश करे। पत्रावली दिनांक 18/12/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	हरिसिंह नम्बर तामिल हे
	18/12/2019 पत्रावली पेश हुई वकील मण्डल बार एसोसिएशन के चुनाव में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 3/02/2020 को पेश हो। कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19/3/24	वकील प्रार्थी श्री दिनेश कुमार माली उपस्थित। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया की ग्राम मेवी खुर्द तहसील देसूरी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 85 रकबा 2.91 हैक्टर खसरा नंबर 86 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा स्थित है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी अविभाजित है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/4 - 1/4 हिस्सा है। जिसका कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी वाद ग्रस्त आराजीयात का कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाकर अपने खातेदारी के 1/4 हिस्से को अलग करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण विभाजन हेतु तैयार नहीं हो रहे है। अप्रार्थीगण की खातेदारी हिस्से की आराजी में कब्जाकाश्त में अप्रार्थीगण दखलअंदाजी करने पर आमादा है एवं बिना विधिक विभाजन हुए ही भूमि विशेष को अपनी जताते हुए बेश किमती भूमि को स्थिति की बदनियती से भूमि विशेष पर घेरा-पाली एवं निर्माण करने पर तुले हुए है। एवं बेचान करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने एक वाद विरुद्ध अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 53, 188, 92 ए RT Act के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी की सफलता के ठोस एवं प्रथम दृष्टया आधार है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी का कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक रूप से विभाजन नहीं होवे तब तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद ग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से किसी भूमि विशेष पर घेरा पाली एवं कोई निर्माण नहीं करे। एवं कोई दखलअंदाजी नहीं करे। रिकार्ड एवं मौका की यथा स्थिति कायम रखे। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अभिकथन किया की [signature] 19.3 सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

वादग्रस्त कृषि भूमी जमाबंदी में संयुक्त दर्ज अवश्य है।
लेकिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने वर्ष 2010 में मौके पर
विभाजन कर अलग-अलग धोरा पाली कर तारबंदी
इत्यादि से अलग-अलग काबिज होकर काश्त करते आ
रहे है। जो जवाब के साथ संलग्न नक्शे अनुसार अलग-
अलग काबिज है। बेरा और बेरे के पास की भूमी मार्क
A, B, C, D, A के मध्य की शामलाती है। वादग्रस्त आराजी
का मौके पर स्थित अलग-अलग बंटो को कायम रखते हुए
राजस्व रेकर्ड में विभाजन करने हेतु अप्रार्थीगण तैयार है। पुनः
बाद में उक्त बाबत बंटवारा करवाने का कोई औचित्य नहीं
है। सभी ने अपने-अपने बंटो की भूमी को यथा सामर्थ्य विकसित
किया है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थीगण काश्तकारो को
परेशान करने की नियत से गलत वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण
ने अपने-अपने बंट में सुधार कार्य कर भूमी को विकसित किया है।
प्रार्थी स्वयं काश्त नहीं करते है। प्रार्थी के कब्जा और बंट में
स्थित कृषि भूमी में अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं
किया है। प्रार्थी ने भूमी को हथियाने की नियत से वास्तविकता
के विपरीत जाकर दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी स्वयं भी
अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार स्वीकार कर
रहा है। जिससे प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण मालिक व निषेधाज्ञा
प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी सह खातेदारान का
मौके पर वादग्रस्त आराजी के अलग-अलग बंटो में कब्जा
काश्त स्थित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में
है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारीज योग्य होने से खारीज करने
का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली
मय मूल वाद का भी अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत
जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने
वर्ष 2010 में मौके पर विभाजन कर अलग-अलग धोरा पाली
तारबंदी इत्यादि से अलग-अलग काबिज होकर काश्त करते
आ रहे हैं। संलग्न नक्शा अनुसार अलग-अलग काबिज है।
मौके पर संलग्न नक्शा अनुसार सभी सहखातेदारान का बंट
अलग-अलग करने हेतु अप्रार्थीगण तैयार है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	अप्रार्थीगण का सहमति अनुसार अलग-अलग बंट होने से अपने-अपने बंट की जमीन को विकसीत भी किया है जिससे न्याय के तीनो सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होना जाहिर है। जिससे सहखातेदारान के विरुद्ध प्रार्थी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 RTAct विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज योग्य प्रतीत होता है। जिसके खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 19.3.2024 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मुतवाद के साथ संलग्न हो। [signature] 19.3.2024 सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	